



राजस्थान सरकार
प्रारूप 'घ'
(देखिये नियम 10(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा— 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(19)2015 / 194

दिनांक: 12.1.2016

—:: पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश ::—

आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा के आवेदन पर, पहले से कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित 9737 वर्गमीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम -2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक संस्थानिक (institutional) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता :-	श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति का सदस्य है :-	नहीं
3. आदेश सं. तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन :	प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा ख0नं0 678 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि तथा आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी।
या आदेश की तारीख ओर सं. उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित/रूपान्तरण की गई थी :	
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ।
5. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :- (क) ग्राम/गा.पं./तहसील का नाम: (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(हेक्टेयर या वर्गमीटर में) :	ग्राम सिकन्दरा, ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर
टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :	नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-	आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा 12.11 रु. प्रति वर्गमीटर एवं आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा 7.3225 रूपये प्रति वर्गमीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	चालान नं. दिनांक राशि रूपये 12 25.4.2013 72660-00 0007329419 13.8.2015 27778-00
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :	9737 व.मी. का संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क डीएलसी दर का 10 प्रतिशत से 14.64 रु0 प्रति वर्गमीटर की दर

10. चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	जमा कराई गई शास्ति चालान संख्या दिनांक राशि - - -
11. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	-

(12) अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो :-

1. प्रार्थी स्वयं संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत मानचित्र अनुमोदित करवायेगा।
2. प्रस्तावित भूमि एस.एच.-25 से मोतीपुरा ग्रामीण सड़क के मध्य से 13 मीटर की दूरी पर स्थित है किन्तु बिल्डिंग लाईन हेतु 20 मीटर छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जायेगा तथा इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
3. आवेदक को राजस्व(ग्रुप-6)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 के अनुसार कुल संपरिवर्तन क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये छोड़ना होगा तथा पानी, बिजली की आधारभूत सुविधाओं की स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क के निर्धारण या गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।

(13) उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

जिला कलक्टर, दौसा
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांक: 12.1.2016

क्रमांक:- आर18बी(भू0रू0)(19)2015/195-202

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, सिकराय।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार, सिकराय को मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा पंचायत समिति सिकराय।
6. पटवारी हल्का सिकन्दरा तहसील सिकराय।
7. आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर,
दौसा

नवराष्ट्र

16 2 1

ग्राम-सिकन्दरा
तहसील-सिकन्दरा
जिला-दौसा



संयोजक
 5
 5/1/15

०-६
 ६

तहसीलदार, सिकन्दरा
 जिला-दौसा

कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

इस कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक: आर18बी(भू0रू0)(19)2015/194-202 दिनांक 12.1.2016 के द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 692 रकबा 1 बीघा ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर भूमि को राज0 भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ से संस्थानिक (शिक्षण संस्थान हेतु) प्रयोजनार्थ आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा तहसील सिकराय के पक्ष में जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय रूपान्तरण किया गया।


 अति0 जिला कलक्टर
 दौसा

(रे.ने नियम 9(3), (4) और (6))

विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सिकराय (दौसा) का कार्यालय

क्रमांक: रखा/2016/ 62

दिनांक: 25-1-16

संपरिवर्तन आदेश

श्री हरलाल मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना जाति मीना निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान के आवेदन पर, तहसीलदार सिकराय की अधिर्शा व ग्राम पंचायत सिकन्दरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी काश्तकारी में उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 ए तथा संशोधित अधिसूचना न. एफ-6 (6) आर. ई. वी.-6/92 पीटी-8 दिनांक 26-04-2011 के अधीन गैर-कृषि प्रयोजन के लिये एतद्वारा संपरिवर्तित किया जाता है। जिसके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं:-

- | | | |
|--|----|---|
| 1. आवेदक खातेदार/काश्तकार का नाम/
पिता/पति का नाम और पूर्ण पते सहित | - | हरलाल मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना
निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय
जिला दौसा राजस्थान |
| 2. क्या आवेदक एस.सी. या एस.टी. का सदस्य है | - | हैं/ अनुसूचित जनजाति (मीना) |
| 3. परिवर्तित भूमि के विवरण:- | | |
| (क) गाँव, ग्राम पंचायत और तहसील का नाम | :- | सिकन्दरा/सिकन्दरा/सिकराय |
| (ख) प्रत्येक खसरा नंबर के क्षेत्र के साथ
भूमि का खसरा नंबर (हेक्टेयर में) | :- | 778/2 रकबा 02 बीघा |
| (ग) परिवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में) | :- | 02 बीघा अर्थात 5058 वर्ग मीटर |
| (घ) प्रत्येक खसरा नंबर का क्षेत्र दर्शाते हुये | :- | खसरा नंबर 778/2 रकबा 02 बीघा अर्थात
5058 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण |



टिप्पणी:- गैर-कृषि प्रयोजन के लिये परिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न की जावे।

- | | | |
|--|----|--|
| 4. परिवर्तन का प्रायोजन | - | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |
| 5. देय परिवर्तन प्रभारों की दर | - | मौजूदा कृषि भूमि डी.एल.सी. दर की 5 प्रतिशत |
| 6. चालान की संख्या और तिथि
के साथ निक्षेपित प्रीमियम की राशि | - | चालान संख्या GRN No 0009275753
दिनांक 25-01-2016 से प्रीमियम राशि रूपये
37,037/- रूपये मात्र मद 0029 में राशि जमा। |
| 7. चालान की तिथि और संख्या के साथ
निक्षेपित शास्ति, यदि कोई हो, की राशि | :- | नही |
| 8. चालान की तिथि और संख्या के साथ
निक्षेपित ब्याज, यदि कोई हो, की राशि- | :- | नही |
| 9. क्या नियामतिकरण के लिये नियम 13
के अधीन आदेश जारी किया गया- | :- | नही |

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

10. अन्य विवरण यदि कोई हो :-

निर्माण कार्य नियम विरुद्ध करने पर
स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

11. उपरोक्त परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा:-

(क) उपरोक्त गैर-कृषि प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की जावेगी।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश को जारी करने की तिथि से 05 वर्षों की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में असफल होता है तो अनुमति प्रत्याहरित की जावेगी और आवेदक द्वारा निक्षेपित प्रीमियम राशि समपहरित की जायेगी।

(ग) नियम 4 में उल्लेखित अनुसार कोई भी भूमि किसी गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की जावेगी।

(घ) अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमाम्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(ङ.) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जायेगा तथा पुनरक्षित शुल्क में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए बाध्य होगा।

(च) संपरिवर्तन भूमि को हितधारी/स्वामी/खातेदार द्वारा बेचान करने के दौरान नोटिफिकेशन न. एफ. 6 (6) रेवन्यू, 6/92 पीटी/ 4 दिनांक 16.01.2012 के बिन्दु संख्या 11 की पालना करनी होगी।

नोट- निर्माण कार्य हाईवे, स्टेट हाईवे या आम रास्ते की निर्धारित सीमा (इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार) छोड़कर किया जावेगा, संपरिवर्तन भूमि पर स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण किया जायेगा।


उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(उपखण्ड अधिकारी, सिकराय)
विहित प्राधिकारी की मोहर

क्रमांक:-रूपा/2016/ 63-68

दिनांक: 25-1-18

प्रतिलिपि निम्न को:-

1. जिला कलेक्टर महोदय दौसा।
2. तहसीलदार, तहसील सिकराय।
3. पटवारी, पटवार हल्का सिकन्दरा।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सिकन्दरा।
5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील सिकराय
6. आवेदक - श्री हरलाल मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना जाति मीना निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
7. कार्यालय पत्रावली।



इसका प्रतिलिपि


उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा


उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(उपखण्ड अधिकारी, सिकराय)

अवेदक का नाम : हरलाल पुत्र गोगीलाल मीना

ख.नं. $\frac{778}{2}$ रकबा 2.00 बीघा औद्योगिक संपादन हेतु

गमगा

रोस्ता	चरागाह	श्रीम	रोस्ता
श्रीम	778	श्रीम	
ख.नं. 778	2	ख.नं. 778	
सजना पारोसिना	3	पुत्र हरलाल	
मीना		जनमारी किलाग	
		पि. देवड मीना	



प्रदायिता प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
सिकराथ जिला बीसा